समाहर्त्ता न्यायालय, पूर्णिया

आदेश की सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख

उत्पाद वाद संख्या-307/2019

04.02.2020

राज्य

बनाम

1. मनीष कुमार झा, पिता-विपिन कुमार झा, सा०-टीचर्स कॉलोनी, माधोपाड़ा, सुदीन चौक, थाना-के० हाट सहायक, जिला-पूर्णिया। (जप्त TEMPU CHECHIS NO.-NBX0003BFVL75 & ENGINE NO.-BO117477 से गिरफ्तार अभियुक्त)
2. सुमित कुमार उर्फ बुम्बा, पिता-स्व० सुकरत कुमार दास, सा०-विवेकानन्द कॉलोनी, रजनी चौक, थाना-के० हाट सहायक, जिला-पूर्णिया। (जप्त TEMPU CHECHIS NO.-NBX0003BFVL75 & ENGINE NO.-BO117477 से गिरफ्तार अभियुक्त)
3. संजय सिन्हा, पिता-स्व० सुरेश प्रसाद सिन्हा, सा०-रामनगर पॉलिटेकनिक चौक, थाना-मरंगा, जिला-पूर्णिया। (जप्त TEMPU CHECHIS NO.-NBX0003BFVL75 & ENGINE NO.-BO117477 से गिरफ्तार अभियुक्त)

.... *विपक्षीगण*

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। **पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के पत्रांक 3600/हि०शा० दिनांक-16.09.2019 एवं 4134/हि०शा० दिनांक 25.10.2019** द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं संलग्न कागजातों में वर्णित है कि **उक्त वाहन की जांच दिनांक 30.06.2019 को जलालगढ़ थाना अंतर्गत मिश्रीनगर चौक के पास की गई।** जांच के क्रम में **जप्त वाहन से ROYAL STAG WHISKY का 26 बोतल (प्रति बोतल 750 मि०ली०), ROYAL CHALLANGE WHISKY का 17 बोतल (प्रति बोतल 750 मि०ली०), OFFICERS CHOICE WHISKY का 243 पीस (प्रति पीस 180 मि०ली०) एवं BEER का 24 बोतल (प्रति बोतल 500 मि०ली०) विदेशी शराब** पाया गया। तत्पश्चात् जप्ती सूची तैयार कर **जलालगढ़ थाना काण्ड सं०-80/2019 दिनांक 30.06.2019** दर्ज कराई गई। **पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया** द्वारा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् जप्त वाहन को राजसात करने की अनुशंसा की गई है।

जप्त वाहन में निबंधन सं0 अंकित नहीं रहने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णिया से जप्त वाहन के मालिक का नाम / पता उपलब्ध नहीं हो पाया। तत्पश्चात् इस काण्ड में गिरफ्तार अभियुक्त विपक्षीगण को अंचल अधिकारी, पूर्णिया पूर्व के माध्यम से नोटिस तामिला हेतु भेजा गया। जिसके आलोक में प्रतिवेदित किया गया कि विपक्षी सं0-01 उक्त पते से पांच वर्ष पूर्व चले गए हैं। उक्त पते पर विपक्षी सं0-03 का पता नहीं चल पाया एवं विपक्षी सं0-02 की माँ द्वारा दिनांक 23.12.2019 को नोटिस प्राप्त किया गया।

उत्पाद विभाग की ओर से प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता को सुना। जांच के क्रम में **जप्त वाहन से ROYAL STAG WHISKY का 26 बोतल (प्रति बोतल 750 मि0ली0), ROYAL CHALLANGE WHISKY का 17 बोतल (प्रति बोतल 750 मि0ली0), OFFICERS CHOICE WHISKY का 243 पीस (प्रति पीस 180 मि0ली0) एवं BEER का 24 बोतल (प्रति बोतल 500 मि0ली0) विदेशी शराब** बरामद हुआ है। इस प्रकार जप्त वाहन का उपयोग शराब के परिवहन में किया गया है। विपक्षीगण को न्यायालय में उपस्थित कराने हेतु नोटिस तामिला कराने का प्रयास किया गया तथा विपक्षी सं0-02 को नोटिस तामिल भी कराया गया, परन्तु विपक्षीगण उपस्थित नहीं हुए। साथ ही एक लम्बी अवधि तक जप्त वाहन का खोजबीन नहीं किया जाना, वाहन मालिक की संलिप्तता को परिलक्षित करता है। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 56 में अधिहरण की जा सकने वाली चीजों का वर्णन है, जिसकी उपधारा 'घ' में वर्णित है कि "उसे ढ़ोने के काम में लाये जाने वाले पशु, वाहन, जलयान या परिवहन के अन्य साधन।" स्पष्ट है कि जप्त वाहन के द्वारा शराब का परिवहन किया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा-99 "विधिमान्यकरण के अनुरूप बिहार उत्पाद अधिनियम से संबंधित पूर्व में किये गये सभी तरह के अपराध और उसके अनुसंधान से संबंधित सारे प्रावधानों पर वर्त्तमान बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के प्रावधान ही लागू होंगे और इसी अनुरूप अपराध और अनुसंधान के कार्य निष्पादित किये जायेंगे।" ऐसी स्थिति में उक्त अधिनियम के तहत् प्राप्त शक्ति के आलोक में जप्त वाहन को

राजसात किया जाना आवश्यक है।

पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया से प्राप्त प्रस्ताव, उत्पाद विभाग की ओर से प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन तथा अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त वाहन से अवैध शराब जप्त हुआ है। स्पष्ट है कि जप्त वाहन के द्वारा शराब का परिवहन किया गया है। संपूर्ण बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागु होने के बावजूद जप्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् उक्त वाहन को राजसात किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अतः मैं राहुल कुमार, भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी -सह-समाहर्त्ता, पूर्णिया इस वाद अंतर्गत **जप्त TEMPU CHECHIS NO.-NBX0003BFVL75 & ENGINE NO.-BO117477** को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की कंडिका 58(2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजसात का आदेश देता हूँ। अधीक्षक उत्पाद, पूर्णिया को निदेश दिया जाता है कि उत्पाद अधिनियम एवं तत्संबंधी संगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु उत्पाद अधीक्षक, पूर्णिया को भेजें तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भी प्रेषित करें।

इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।